राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 21/2021 अपील

शम्भू लाल पुत्र नन्दा मीणा निवासी– अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. श्रीमती अनोप देवी पुत्री कल्याण पत्नी रामेश्वर मीणा निवासी – बडौदिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा हाल हमेरिया पंचायत श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ़
2. श्रीमती मनफूल देवी पुत्री कल्याण पत्नी घीसू मीणा निवासी– बड़ौदिया हाल निवासी– कास्या तहसील बिजौलिया
3. श्रीमती गजरी देवी पुत्री कल्याण पत्नी प्रभु लाल मीणा निवासी– बडौदिया तहसील बिजौलिया
4. श्रीमती जेना देवी पुत्री कल्याण पत्नी हीरा लाल मीणा निवासी– बडौदिया हाल निवासी– अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
5. श्रीमती भूरी देवी पत्नी कल्याण मीणा निवासी – बड़ौदिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार, बिजौलिया बप्रकरण संख्या 04/2019 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 25–11–2019

उपस्थित –

1. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.02.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्व तहसीलदार बिजौलिया के प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 25.11.2019 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 ने अपीलांट के विरुद्ध तहसीलदार, बिजौलिया के यहां एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलीन्द्री मे स्थित आराजी नम्बर 433/3 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण मीणा जाति से होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि धारा 183(बी) आर.टि.एक्ट जो कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा कब्जा करने पर उक्त एक्ट बना है, अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण दोनो पक्ष जो कि अनुसूचित जनजाति के है। इस कारण से प्रकरण धारा 183 (बी) आर.टि.एक्ट के तहत अन्तर्गत प्रकरण पोषणीय नहीं है व न ही उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की भूमि पर कोई कब्जा नही कर रखा हैं। मामले में जो मौका पर्चा दिनांक 08/10/2019 को न्यायालय आदेश की पालना में बनाया गया है, जिसमे अपीलार्थी को सुना भी नहीं गया व न ही अपीलार्थी की उपस्थिति मे मौका पर्चा बनाया गया। निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 04/2019 में धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलार्थी की सुनवायी किये बिना, दिनांक 25.11.2019 को निर्णय पारित किया हैं, जबकि धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा कब्जा करने पर कार्यवाही हेतु बना है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा ग्राम बडोदिया दिनांक 08.10.2019 में कहीं पर भी प्रत्यर्थीगणों की आराजी का सीमाज्ञान अंकित नहीं किया हुआ हैं जिससे यह प्रतीत हो सके की प्रत्यर्थीगणों की आराजी के किसी भी हिस्से पर अपीलार्थी का अवैध

कब्जा हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रश्नगत निर्णय पारित किया है, वह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा ग्राम बडोदिया दिनांक 08.10.2019 के परीक्षण से जाहिर होता हैं कि मौका पर्चा भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बनाया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रति के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की सुनवायी किये बिना ही जल्दबाजी में प्रश्नगत निर्णय पारित किया हैं, जबकि ऐसे मामलों में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों की पालना करते हुये अपीलार्थी को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान करके निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण निर्णय कर केवल मात्र अपीलीय न्यायालय में वाद बाहुल्यता बढाने का कार्य किया हैं, जो उचित नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 25.11.2019 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य ठहरता हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 25.11.2019 को निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुये निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में उभयपक्षों की उपस्थिति में ग्राम बडौदिया की आराजी संख्या 433/3 रकबा 6.10 बीघा भूमि की पैमाईश करायी जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा